india.gov.in INDIA

झारखण्ड सरकार

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 295 4 भाद्र, 1926 शकाब्द
राँची, वृहस्पतिवार 26 अगस्त, 2010

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

20 अगस्त, 2004

संख्या 1623/न0वि0वि0--राँची नगर निगम (अंगीकरण एवं संशोधन) अधिनियम 2001 (झारखण्ड अधिनियम-6, 2002) की धारा-540 की उपधारा (2) (एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार, राँची नगर निगम में निर्वाचन

हेतु प्रोदशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के गठन हेतु निम्नांकित नियमावली, जिसके प्रारूप का पूर्व प्रकाशन किया जा चुका है, बनाते हैं, यथा-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभः**

(क) यह नियमावली राँची नगर निगम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) गठन नियमावली, 2002 कही जा सकेगी।

(ख) तत्काल प्रभाव से प्रभावी समझा जायेगी।

(ग) ''निर्वाचन' से अभिप्रेत है, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नगर निगम के पदधारकों का प्रत्यक्ष निर्वाचन,

(घ) 'जनसंख्या'' से अभिप्रेत है अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के आधार पर शहर या नगर की यथास्थिति, यथा निश्चित जनसंख्या जिसके आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हो,

(ड़)'प्रकाशित निर्वाचन क्षेत्र'' से अभिप्रेत है, नगर निगम के लिए चुने जाने वाले पार्षद/महापौर/उप-महापौर के लिए विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र,

(च)''सीमा'' से अभिप्रेत है प्रकाशित निर्वाचन क्षेत्र की सीमा जो सभी ओर से सीमाबद्ध हो और सुभेदक सड़कों, गलियों, प्रमुख मकानों या स्थानों द्वारा पहचान करने योग्य हों,

(छ)"प्राधिकृत पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, जिला दण्डाधिकारी द्वारा इस नियमावली के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत उप-समाहर्त्ता स्तर से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी,

(ज)"विहित निदर्शन (प्रोफॉर्मा) पत्र' से अभिप्रेत है, इस नियमावली के प्रयोजनार्थ विहित किया गया निदर्शन पत्र (प्रोफॉर्मा) एवं

(झ) वे शब्द और अभिव्यक्ति जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं उनके वे ही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में परिभाषित हैं।

3. प्रोदशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) का गठनः

i. राँची नगर निगम के पार्षदों/महापौर/उप-महापौर के निर्वाचन के प्रयोजार्थ, जिला दण्डाधिकारी, राँची, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में राँची नगर निगम को प्रादेशिक क्षेत्रों में विभक्त करेगा।

ii. प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में समीपस्थ क्षेत्र रहेंगे एवं वह इस प्रकार गठित किया जाएगा कि राँची नगर निगम के अंतर्गत सभी प्रकाशित निर्वाचन क्षेत्रों की यथाशक्य, समान जनसंख्या होगी और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की निश्चित भौगोलिक सीमा होगी जो प्राकृतिक या कृत्रिम वस्तुओं या चिन्हों के माध्यम से सुस्पष्टतः पृथक की जा सकेगी। राँची नगर निगम में प्रकाशित, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या राँची नगर निगम में प्रकाशित निर्वाचन क्षेत्र की

संख्या राँची नगर निगम की कुल जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाएगी तथा नगर निगम में न्यूनतम 37 (सैंतीस) एवं अधिकतम 55 (पचपन) होगी।

iii. जनसंख्या के आधार पर राँची नगर निगम में अनुमान्य वार्डों की संख्या यथाशक्य निम्नांकित होगीः-

क्रम सं0	नगर निगम की जनसंख्या	प्रकाशित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या
1	2,00,000 से 2,30,000 तक	37
2	2,30,000 से 2,60,000 तक	38
3	2,60,000 से 2,90,000 तक	39
4	2,90,000 से 3,20,000 तक	40
5	3,20,000 से 3,50,000 तक	41
6	3,50,000 से 3,80,000 तक	43
7	4,25,001 से 500,000 तक	45
8	5,00,001 से 5,75,000 तक	47
9	5,75,001 से 6,50,000 तक	49

10	6,50,001 से 7,25,000 तक	51
11	7,25,001 से 8,00,000 तक	43
12	8,00,001 से 8,64,453 तक	55

परन्तु राज्य सरकार उपर्युक्त वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर प्रकाशित निर्वाचन क्षेत्र की संख्या में परिवर्तन ला सकेगी;

परन्तु और कि जिला दण्डाधिकारी, राँची उपर्युक्त स्तर के अनुसार या अन्य आपवादिक परिस्थिति में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को निश्चय करने में कोई कठिनाई होने पर राज्य आयोग से अनुदेश प्राप्त करने के बाद तदनुसार विनिश्चय कर सकेंगे।

4. प्रकाशित निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्याकनः

नगर निगम क्षेत्र के उत्तर-पश्चिम से प्रारंभ कर दक्षिण-पूर्व तक प्रत्येक प्रकाशित निर्वाचन क्षेत्र को क्रमशः संख्याकित किया जाएगा। यह क्रमवार जिला का नाम/नगर निगम का नाम/प्रकाशित निर्वाचन क्षेत्र की संख्या अंकित की जाएगी यथा-राँची नगर निगम/वार्ड-1 , इत्यादि।

5. प्रकाशित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का प्रकाशनः

i. जिला दण्डाधिकारी राँची, नगर निगम के प्रकाशित निर्वाचन क्षेत्रों की सम्यक् रूप में तैयारी सूची विहित प्रपत्र में राँची नगर निगम तथा जिला दण्डाधिकारी, राँची कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करेगा।

ii. उप-नियम (1) के अधीन प्रकाशित सूची में अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में कोई लिखित आपत्ति, इसके प्रकाशन की तिथि से दो सप्ताह के भीतर जिला दण्डाधिकारी के समक्ष अथवा जिला दण्डाधिकारी को इसकी सूचना देते हुए, उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी पदाधिकारी के समक्ष दायर की जा सकेगी।

iii. उप-नियम (2) के अधीन प्राप्त आपत्ति पर जिला दण्डाधिकारी अथवा द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, आवश्यक जाँच-पड़ताल के पश्चात् अथवा मंतव्य अभिलिखित करेगा, जो अंतिम होगा। जिला दण्डाधिकारी आपत्तियों/सुझावों का निपटारा प्रारूप सूची के प्रकाशन अवधि की समाप्ति की तिथि से एक सप्ताह के भीतर कर देगा।

iv. जिला दण्डाधिकारी, राँची नगर निगम के प्रकाशित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, नियमावली, अनुसूची के अनुसार विहित प्रपत्र में जिला गजट (घोषणा-पत्र) में प्रकाशनोपरांत राँची नगर निगम, राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य सरकार को भेजेगा।

v. यदि राज्य निर्वाचन आयोग स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यथित व्यक्ति से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर यदि इसकी राय हो ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण है तो उप-नियम (i) के अधीन गठित किसी प्रकाशित निर्वाचन क्षेत्र की वैधिकता एवं औचित्व का पुनर्विलोकन कर सकेगा, जो इस नियमावली के प्रावधानों के अध्यधीन राज्य निर्वाचन आयोग उचित एवं युक्तियुक्त समझे।

परन्तु अधिनियम के प्रावधानों के अधीन राँची नगर निगम के निर्वाचन की तिथि अधिसूचित किए जाने के पश्चात् आयोग किसी नए मामले पर विचार नहीं करेगा।

6. इस नियमावली का अध्यारोही प्रभावः

इस नियमावली में नियमावली के प्रावधानों से संबंधित किसी अन्य नियमावली के विरूद्ध किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी इस नियमावली का अध्यारोह प्रभाव होगा।

अनुसूची '1

प्रकाशित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची के प्रकाशन के लिए विहित प्रपत्र

राँची नगर निगमः

1- जिला का नाम -

2- नगर निगम का नाम -

जिला क्रमांक	प्रकाशित निर्वाचन क्षेत्र की संख्या/नाम	जनसंख्या	प्रकाशित निर्वाचन क्षेत्र का सीमा विस्तार
1	2	3	4

(संचिका सं01/स्था0 नीति 1-1010/2002)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

बी0 के0 सिंह,

सरकार के सचिव,

नगर विकास विभाग।